

राजस्थान-शासक
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 28.02.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 153/2024

GCMS NO :- 2024/301

किरम मुकदमा :- 136 LR Act.

उजवान :- अनुराज यादव बनाम राज0 शासक

-:आदेश:-

दिनांक : 28.02.2025

प्राथी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्राथी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का पचेरी खुर्द की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पचेरी खुर्द, रामसर, अलीपुर की जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 में खाता संख्या 72, 4, 62, 63 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पचेरी खुर्द, रामसर, अलीपुर	खाता संख्या 72, 4, 62, 63	अजयराज यादव पुत्र लखीराम	अनुराज यादव पुत्र लखीराम

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

क्रमांक :- राजस्व/2025/109

दिनांक :- 28/2/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. अनुराज यादव पुत्र लखीराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

